UPSI180001912017

न्यायालय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/80/2017

Tasawar kha Vs. Alim

07.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 नियत है।

वाद बिन्दु सं0 2 पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि **''क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?''**

वादीगण का कथन है कि वाद विषय का मूल्यांकन वादीय सम्पत्ति के वार्षिक लगान मु0–14.75 के 30 गुना पर उचित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वाद–पत्र के अनुसार वादीय भूमि पर दुछनिया छप्पर, नांद आदि स्थित है जिसके बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष याचित किया गया है। अतः वाद का मूल्यांकन न्यायालय के मत में कम किया गया है। विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन रू0 5,000 रू0/– सुनिश्चित किया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 2 का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

वादीगण पारिणामिक संशोधन हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते दाखिला अतिरिक्त कोर्टफीस/मुंसरिम आख्या एवं निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3 व 4 दि0 20.03.2024 को पेश हो। अन्तरिम निषेधाज्ञा अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो–

Digitally signed by AKSHITA SINGH
Date: 2024.02.07 17:44:25 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.